फर्द अहकाम

विमला मीना बनाम छोटीलाल वगै0

संख्या 181/2020

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2024	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी। दिनांक 03.05.2024 को पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण रजिस्टर्ड डाक सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली में बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीनी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाद प्रार्थीया/वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर समस्त प्रतिवादीगण को पावन्द किया जावे कि प्रार्थीया/वादीनी की कब्जेकाश्त व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1131/1 रकबा 0.425 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1132/1 रकबा 0.1364 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1133/1 रकबा 0.1344 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1134/1239 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.3933 हैक्टेयर भूमि से प्रार्थीया/वादीनी को बेदखल ना करें, ना ही कब्जेकाश्त में बाधा कारित करें तथा मौके पर प्रार्थीया/वादीनी का अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के द्वारा करवाये गये निर्माण व कब्जे की वाद–पत्र के मद संख्या 4 की भूमि में प्रार्थीया / वादीनी के शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करे तथाप्रार्थीया / वादीनी की कब्जेकाश्त खातेदारी की मौके की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे औ ना ही कब्जा करें और ना ही नया निर्माण कार्य करे, ना ही स्वंय करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि के माध्यम से करें तथा खातेदारी भूमि की स्थिति यथावत बनाये रखें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थीया/वादीनी की उक्त आराजी भूमि के सुरक्षार्थ जो पक्की बाउन्ड्रीवाल निर्मित करवाई गई है उसको न तो स्वंय तोड़े और ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, प्रति[illegible] माध्यम से ध्वस्त करवाये तथा प्रतिवादीगण के [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की मौके [illegible] पैमाईश हुये किसी भी प्रकार से प्रार्थीया/वादीनी के कब्जे काश्त में कोई बाधा Signature Not Verified Digitally signed by Himmat Singh Date: 2025.04.04 11:59:15 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

फर्द अहकाम
विमला मीना बनाम छोटीलाल वगै0
वाद संख्या: 181 / 2020

कारित नही करें और ना ही कब्जे पक्के निर्माण को ध्वस्त करें और ना ही प्रतिवादीगण मौके पर विधिवत रूप से बिना पैमाईश हुये आराजी भूमि खसरा नम्बर 1131 / 1260 की भूमि पर बिना किश्म परिवर्तन करवाये कोई निर्माण कार्य करें या अवैद्य कॉलोनी विकसित करें और ऐसा ना तो स्वंय करें और ना ही अपने एर्जेन्ट सर्वेन्ट, प्रतिनिधि आदि के माध्यम से करवाये।

बहस एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादीया की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाता है। वादिया सीमाज्ञान का प्रार्थना तहसीलदार सांगानेर को पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादिया से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर वादिया की वाके ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा पटवार हल्का जयपुरा भू0अ0नि0क्षे0 लुनियावास तह0 सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान मे स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1131 / 1 रकबा 0.425 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1132 / 1 रकबा 0.1364 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1133 / 1 रकबा 0.1344 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1134 / 1239 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0. 3933 हैक्टेयर की सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह कायम करे। यदि वादीया की उक्त भूमि की सीमाज्ञान है तो उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर सीमाचिन्ह कायम करे। सीमाज्ञान होने के पश्चात् प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादीया की भूमि की सीमा में दखल नही दे एवं वादिया के उपयोग–उपभोग एवं कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करे, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 11:59:15 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
(सांगानेर)